नो-पावरकट राज्य बनेगा पंजाब : केजरीवाल

- अब प्रदेश के हर कोने से अंधेरे का खात्मा होगा : भगवंत मान
- मुफ्त बिजली देने का सपना दिल्ली के बाद अब पंजाब में पूरा होगा

केजरीवाल ने रोशन पंजाब परियोजना का शुभारंभ किया

नई दिल्ली/पंजाब, 08 अक्टूबर. पंजाब अगले साल तक नो-पावरकट राज्य बन जाएगा. बुधवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीएम भगवंत मान के साथ रोशन पंजाब परियोजना का शुभारंभ किया.

जालंधर में 5 हजार करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन की अत्याधुनिक नेटवर्क का शिलान्यास कर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप सरकार पंजाब में बिजली व्यवस्था दुरुस्त कर रही है. अब पंजाब में भी 24 घंटे बिजली पहुंचने का सपना पूरा होने जा रहा है. पूरे प्रदेश में 25 हजार किलोमीटर की नई केबल बिछाई जाएगी, 8 हजार नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे, 77 नए सब स्टेशंस बनेंगे और 200 सब स्टेशंस ओवर-हॉल किए जाएंगे. इसके बाद पूरा पावर सिस्टम एकदम मॉडर्न होगा, जिसे कंट्रोल रूम से एक बटन पर नियंत्रित किया जाएगा. अगले 1 साल में पूरे पंजाब में 24 घंटे मुफ्त बिजली पहुंचने लगेगी. इससे पहले हमने दिल्ली में 24 घंटे मुफ्त बिजली देकर देश को दिखाया है.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के अलावा पूरे देश में कोई भी एक राज्य नहीं है, जिसने अपने नागरिकों को 24 घंटे निर्बाध बिजली देने का सपना भी देखा हो. यहां तक कि यह भी उनकी सोच के परे था कि आम जनता को बिजली मुफ्त भी दी जा सकती है.

केजरीवाल की दूरदर्शी सोच : भगवंत मान

इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आप नेता अरविंद केजरीवाल की दूरदर्शी सोच ने पारंपरिक राजनीतिक दलों को अपने चुनावी घोषणा पत्र बदलने के लिए मजबूर किया है. उनके प्रयासों से शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के मुद्दे पार्टियों के राजनीतिक एजेंडे का केंद्र बिंदु बन गए हैं. इससे पहले किसी भी राजनीतिक दल ने इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कभी प्राथमिकता नहीं दी थी. उन्होंने कहा कि बिजली अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है.

स्टारमर से बातचीत के लिए उत्सुक हूं मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया पर किया स्वागत

नयी दिल्ली 08 अक्टूबर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर आये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा है कि वह अपने ब्रिटिश समकक्ष के साथ बातचीत के लिए उत्सुक हैं. श्री स्टारमर बुधवार सुबह मुंबई पहुंचे. उनके साथ ब्रिटेन का अब तक का सबसे बड़ा व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी आया है.

मोदी ने कहा कि वह भारत तथा ब्रिटेन के बीच मज़बूत और पारस्परिक रूप से समृद्ध भविष्य के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए गुरूवार को होने वाली अपनी बैठक का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. स्टारमर के मुंबई पहुंचने पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा , ब्रिटेन के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत की अपनी पहली ऐतिहासिक यात्रा पर प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का स्वागत है. एक मज़बूत और पारस्परिक रूप से समृद्ध भविष्य के हमारे साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए कल होने वाली हमारी बैठक का बेसब्री से इंतज़ार है. उल्लेखनीय है कि श्री स्टारमर के छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने गर्मजोशी से स्वागत किया. दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच गुरूवार को व्यापक सामरिक साझेदारी और अन्य विषयों पर बातचीत होगी. स्टारमर के साथ 120 से अधिक कारोबारियों, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और सांस्कृतिक प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी आया है.

ऑस्ट्रेलिया पहुंचे राजनाथ सिंह

रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने की तैयारी

सिडनी/नई दिल्ली, 8 अक्टूबर. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने के उद्देश्य से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर बुधवार को ऑस्ट्रेलिया पहुंचे. यह यात्रा ऑस्ट्रेलियाई उपप्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के निमंत्रण पर हो रही है.

सिडनी एयरपोर्ट पर राजनाथ सिंह का स्वागत भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले और वरिष्ठ ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने किया. यह यात्रा न केवल इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिहाज़ से महत्वपूर्ण है, यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के पांच वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रही है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बढ़ते रणनीतिक और रक्षा संबंधों के मद्देनजर यह यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 और 10 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे,

जहां वे अपने समकक्ष रिचर्ड मार्लेस और अन्य शीर्ष अधिकारियों से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे.

इस दौरान दोनों देश रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे.

भारत और ऑस्ट्रेलिया क्वाड गठबंधन के भी सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका और जापान भी शामिल हैं. यह चारों देश मिलकर एक मुक्त, समावेशी और सुरक्षित इंडो-पैसिफिक सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत हैं. राजनाथ सिंह की यह यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब भारत और ऑस्ट्रेलिया की रणनीतिक साझेदारी को 15 वर्ष और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं. यह भी खास है कि 2014 के बाद पहली बार कोई भारतीय रक्षा मंत्री ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर रहे हैं.

शिवसेना चिन्ह विवाद पर अगली सुनवाई 12 नवंबर को

नई दिल्ली. शिवसेना पार्टी के चुनाव चिन्ह विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट अगले महीने सुनवाई करेगा. उद्धव ठाकरे की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 12 नवंबर की तारीख निर्धारित की. शिवसेना-यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भारतीय चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े को पार्टी का नाम 'शिवसेना' और उसका चुनाव चिन्ह 'धनुष-बाण' आवंटित किया गया था. उद्धव ठाकरे का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव जनवरी 2026 में होने हैं, इसलिए इस मामले पर तत्काल विचार करने की जरूरत है.

आज का इतिहास

1876 : पहली बार टेलीफ़ोन पर आउट वायर के जरिए दो तरफा बातचीत हुई थी.

1947 : चलती हुई कार और प्लेन में बैठे दो लोगों ने बातचीत की थी.

1959 : ऑटोरिक्शा और प्लेन में चलते हुए लोगों ने बात की.

1962 : अफ्रीकी देश युगांडा गणतंत्र बना.

1967 : अर्जेंटीना के प्रसिद्ध मार्क्सवादी क्रांतिकारी चे ग्वेरा की हत्या.

1997 : इटली के अभिनेता और लेखक डारियो फो को साहित्य का नोबल पुरस्कार दिया गया.

1998 - पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने इस्लामी शरीयत क़ानून को देश के सर्वाच्च क़ानून के रूप में अनुमोदित किया.

2002 - वर्ष 2002 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के रैमण्ड डेविस और जापान के कोषिबा को संयुक्त रूप से देने की घोषणा की गई.

2006 - गूगल ने यू-ट्यूब के अधिग्रहण की घोषणा की.

पटाखा इकाई में विस्फोट में छह श्रमिकों की मौत

अमलापुरम. कोनसीमा जिले में बुधवार को एक पटाखा इकाई में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम छह श्रमिकों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए, जिनमें से ज्यादातर की हालत गंभीर है. पुलिस ने बताया कि रायवरम मंडल के कोमारीपालेम गांव में लक्ष्मी गणपति ग्रांट पटाखा इकाई में विस्फोट के समय 40 से ज्यादा श्रमिक काम कर रहे थे. इस कारखाने में विस्फोटक पदार्थों सहित पटाखे बनाने की सामग्री का बड़ा भंडार मौजूद था. पुलिस ने बताया कि घायलों की सही संख्या का पता नहीं चल सका है. उन्होंने बताया कि विस्फोट में पटाखा इकाई पूरी तरह नष्ट हो गई. कुछ घायलों को अनापर्थी के सरकारी अस्पताल में और अन्य को अमलापुरम के कुछ निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. जिलाधिकारी महेश कुमार ने बताया कि एक सप्ताह पहले संबंधित अधिकारियों ने पटाखा इकाई का निरीक्षण किया था.

छत्तीसवीं पुण्यतिथि

आतंकवाद का विनाश हो ! भ्रष्टाचार का अंत हो !!

निषेध दिवस

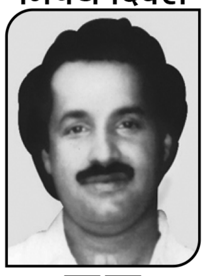

परम पूज्य

स्व. श्री सुरेश नरसिंह दुबे

जन्म : 15-08-1956 • मृत्यु : 9-10-1989

जयप्रकाश नरसिंह दुबे एवं परिवार

09822404010/09637477417

09822193213/09503737575

कार्यालय : दुबे इस्टेट, नालासोपारा (पू.)

निवास : जयओम भवन, शिवसृष्टि कॉम्प्लेक्स, मेडिकल कॉलेज रोड, आचोले, नालासोपारा (पू.), ता. वसई, जि. पालघर - 401209

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई - 400069.

उज्जैन शाखा: 06 / प्रथम मंजिल, कमला नेहरू मार्ग, फ्रीगंज, आईडीबीआई बैंक के ऊपर, शहीद पार्क के पास, उज्जैन 456010 (म.प्र.)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के 60 दिवस में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता(ओ) (शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य का दिनांक
1	(लोन कोड नं. 02010000547/ उज्जैन शाखा) समीर खान (ऋणी), सायरा बानो (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, जीएफ एवं एफएफ म्युनिसिपल मकान नंबर 1 एवं 2/13 का भाग, जो आज़ाद नगर (जंसापुरा) के नाम से जाना जाता है, वीर दुर्गादास मार्ग पथ नंबर 3, वार्ड नंबर 13, उज्जैन, मध्य प्रदेश - 456006 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - विक्रेता का मकान, पश्चिम - यासीन का मकान, उत्तर - अन्य मकान, दक्षिण - सड़क	12-05-2025 & ₹ 5,95,528/-	07-10-2025

स्थान : मध्य प्रदेश

दिनांक : 09-10-2025

प्राधिकृत अधिकारी

आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय: युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400069.

शुजालपुर शाखा: मकान नंबर 17, वार्ड नंबर 15, पंजाबी मोहल्ला, दिगंबर जैन मंदिर रोड, शुजालपुर, शुजालपुर मंडी, जिला। शुजालपुर - 465333 (मध्य प्रदेश)

ई-नीलामी - बिक्री सूचना

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। इसके द्वारा सामान्य रुप से सर्वसाधाण को और विशेष रुप से ऋणी(यों) एवं जमानतदार(ओं) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जिसका कब्जा आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है', और 'जो कुछ भी है'** बिना किसी ज्ञात बाधा के आधार पर विक्रय किया जाएगा जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रं.	ऋणी(यो)/सह ऋणी(यो) /जमानतदार	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (RP)	बयाना जमा राशि (ईएमडी) (RP का 10%)	कब्जे का प्रकार
1.	(लोन कोड नं. 09110000092/ शुजालपुर शाखा) हेमराज वर्मा (ऋणी), रामकन्या वर्मा (सह-ऋणी)	10-07-2024 एवं ₹ 4,34,760/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, तल मंजिल, कृषि मण्डी के पीछे की तरफ, वार्ड नं. 06, पानखेड़ी तहसील कालापीपल जिला शाजापुर म. प्र. 465337 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व- आम रास्ता, पश्चिम- गजराज की भूमि, उत्तर - विक्रेता की भूमि, दक्षिण - विक्रेता की भूमि	Rs. 5,04,000/-	Rs. 50,400/-	भौतिक

1. केवाईसी, निविदा प्रपत्र एवं स्वीकृत नियम एवं शर्तों (निविदा दस्तावेज) के साथ बयाना राशि का डीडी जमा करने की अंतिम तिथि **12-11-2025 शाम 5:00 बजे** तक ऊपर उल्लिखित शाखा कार्यालय के पते पर या **https://bankeauctions.com** पर अपलोड की गई है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदा दस्तावेजों को अमान्य निविदा माना जाएगा और तदनुसार अस्वीकार कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
2. संपत्ति के लिए बोली/प्रस्ताव (नीलामी तिथि) खोलने की तिथि **13-11-2025 दोपहर: 03:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक https://bankeauctions.com** पर है।
3. जैसा कि ऊपर बताया गया है, एएचएफएल संपत्ति पर लंबित किसी भी देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। संपत्ति की नीलामी **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो है वह है' के आधार पर** की जाएगी।
4. डिमांड ड्राफ्ट केवल 'आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में बनाया जाना चाहिए।
5. नीलामी/बोली केवल वेबसाइट **https://bankeauctions.com** के माध्यम से 'ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक बोली' के माध्यम से होगी। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पहले विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट देखें।
6. इच्छुक बोलीदाताओं को **https://bankeauctions.com/registration/ signup,** लिंक के माध्यम से पोर्टल मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर अपना नाम पंजीकृत करना चाहिए, और अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए। संभावित बोलीदाता वेबसाइट **https://bankeauctions.com** के माध्यम से सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ई-नीलामी पर ऑनलाईन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं।
7. अधिक जानकारी के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, **दीपक मालवीय संपर्क नंबर 7583898990**या सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, **ई-मेल: tn@c1india.com & support@bankeauctions.com,** फोन नं. **+917291981124 /25 /26** से संपर्क करें। आज तक, एएचएफएल/ एएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों को बेचने, हस्तांतरित करने और/या निपटान करने से रोकने वाला कोई आदेश और/या अदालती निषेधाज्ञा नहीं है।
8. बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एएचएफएल), सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट यानी **www.aadharhousing.com** पर दिए गए लिंक को देखें।
9. नीलामी के लिए बोली वृद्धिशील राशि **रु. 10,000/- है।**
10. यह समाचार पत्र प्रकाशन एवं इसमें निहित डेटा आम जनता के प्रसार के लिए है। इस सामग्री का किसी भी रुप में या किसी भी माध्यम से, चाहे प्रिंट, डिजिटल, किसी भी रुप में इलेक्ट्रानिक प्रकाशन, ईमेल या वेब प्रकाशन, या किसी भी अन्य माध्यम से, संपूर्ण या आंशिक रुप से किसी भी तरह से पुनरुत्पादन, वितरण, प्रसारण या पुनर्प्रकाशन सख्त वर्जित है। किसी भी माध्यम से उपरोक्त सामग्री के किसी भी अनधिकृत उपयोग के परिणामस्वरुप AHFL द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान : मध्यप्रदेश

दिनांक : 09-10-2025

सही/- प्राधिकृत अधिकारी

आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

TATA

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनीनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग लोवर परेल, मुम्बई-400013. शाखा कार्यालय : 9/1/1, सूरज भवन, दूसरी मंजिल, येस बैंक के ऊपर, एम.जी. रोड़, इन्दौर-452001

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के तहत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु 15 दिवसीय ई-नीलामी सूचना

एतद्द्वारा सर्व सामान्य और विशेषकर अधोलिखित कर्जदार और/सह-कर्जदार या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (कर्जदारों) को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. (टीसीएचएफएल), को बंधक अधोल्लिखित अचल संपत्ति जिसका टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया, अधोलिखित कर्जदार और सह-कर्जदार से कुल बकाया राशि की वसूली के लिए **'जो है जहाँ है' और 'जहाँ है, जैसा भी है' और 'जो भी हैं'** आधार पर दिनांक **28-10-2025** को बिक्री की जायेंगी। आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा निम्न वर्णित हैं। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के किसी स्थगन / बाधा के अभाव में उक्त संपत्ति ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक **28-10-2025** को दोपहर **2:00** बजे बिक्री की जायेगी। संपत्ति खरीद के लिए मुहरबंद ई-नीलामी हेतु ईएमडी राशि का डिमांड डाफ्ट टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक **27-10-2025** को समय सायं **5.00** बजे तक शाखा कार्यालय : **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड,** 9/1/1, सूरज भवन, द्वितीय तल, यस बैंक के ऊपर, एम. जी. रोड़, इंदौर-452001 पर जमा किया जाना चाहिए। प्रत्याभूत संपत्ति/अचल संपत्ति की बिक्री 'जैसी है जहाँ है शर्त' निम्न अनुसूची में उल्लिखित संक्षेप विवरणों के अनुसार होगी।

क्रं.	ऋण खाता क्रं.	ऋणी(यों)/सह-ऋणी(यों)/ कानूनी वारिस(सों)/ जमानतदा(रों) के नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि एवं मांग सूचना दिनांक	आरक्षित मूल्य	बकाया राशि
1	10179825 & TCHIN028 400010025 5572	श्री कृष्णराव देशमुख श्रीमती सयाबाई नामदेव देशमुख	**रू. 6,31,718/-** (रूपये छ: लाख इकतीस हजार सात सौ अठारह मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक 10179825 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं **रू. 4,67,099/-** (रूपये चार लाख सढ़सठ हजार निन्यान्वे मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक TCHIN0284000100255572 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं कुल बकाया **रू. 10,98,817/-** (रूपये दस लाख अंठान्वे हजार आठ सौ सत्रह मात्र) 15-05-2024	**रू. 10,90,000/-** (रुपये दस लाख नब्बे हजार मात्र) **अग्रिम जमा राशि (ईएमडी)- रू. 1,09,000/-** (रुपये एक लाख नौ हजार मात्र) **कब्जे का प्रकार-** भौतिक	**रू. 8,26,872/-** (रूपये आठ लाख छब्बीस हजार आठ सौ बहोत्तर मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक 10179825 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं **रू. 5,86,306/-** (रूपये पांच लाख छियासी हजार तीन सौ छ: मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक TCHIN0284000100255572 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं कुल बकाया **रू. 14,13,178/-** (रूपये चौदह लाख तेरह हजार एक सौ अठहत्तर मात्र) 03-10-2025
अचल संपत्ति का विवरण: अचल संपत्ति का संपूर्ण क्षेत्र प्लॉट क्रमांक ए-41 का दक्षिणी भाग, ''प्रभातम ऑयस्टर सिटी'' भूमि सर्वे नं. 50/1, 51/1 एवं 51/2, ग्राम कालीबिल्लोद तहसील देपालपुर जिला इंदौर, माप क्षेत्र 491.945 वर्ग फीट, **सीमाएं:** पूर्व : प्लॉट नं. ए-30, पश्चिम: कॉलोनी रोड, उत्तर: प्लॉट का शेष भाग, दक्षिण: प्लॉट नं. ए-42					
2	TCHHL02 84000100 305203 & TCHIN028 40001003 06332	श्री अंकित जाट श्री राहूल जाट	**रू. 17,19,072/-** (रुपये सत्रह लाख उन्नीस हजार बहोत्तर रूपये मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक TCHHL0284000100305203 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं **रू. 53,819/-** (रुपये तिरेपन हजार आठ सौ उन्नीस मात्र) की राशि अनुबंध क्र. TCHIN0284000100306332 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं कुल बकाया **रू.17,72,891/-** (रुपये सत्रह लाख बहोत्तर हजार आठ सौ इंक्यान्वे मात्र) 20-12-2024	**रू. 20,00,000/-** (रुपये बीस लाख मात्र) **अग्रिम जमा राशि (ईएमडी)- रू. 2,00,000/-** (रुपये दो लाख मात्र) **कब्जे का प्रकार-** भौतिक	**रू. 18,83,819/-** (रुपये अठारह लाख तिरयासी हजार आठ सौ उन्नीस मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक TCHHL0284000100305203 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय एवं **रू. 62,389/-** (रुपये बासठ हजार तीन सौ उनब्बे मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक TCHIN0284000100306332 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय एवं कुल बकाया रू. **19,46,208/-** (रुपये उन्नीस लाख छियालीस दौ सौ आठ मात्र) 03-10-2025
अचल संपत्ति का विवरण: प्लॉट क्रमांक 28, सिमरोल टाउनशिप तहसील महू जिला इंदौर (म.प्र.) की अचल संपत्ति के समस्त भाग एवं अंश, माप क्षेत्रफल 1100 वर्ग फीट अर्थात (102.23 वर्ग मीटर), **चर्तुसीमा** : पूर्व : रोड, पश्चिम : प्लॉट क्रमांक 11, उत्तर : प्लॉट क्रमांक 27, दक्षिण : प्लॉट क्रमांक 29					
3	TCHHF028 400010006 8767 & 9897170 & TCHHF028 400010008 4488 & TCHHF028 400010008 5653 & TCHHL028 400010008 4902	श्री प्रेम रतन बोथरा श्रीमती प्रीति बोथरा	**रू. 17,92,542/-** (रूपये सत्रह लाख बयानवें हजार पांच सौ बयालीस मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक TCHHF0284000 100068767 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं **रू. 60,29,841/-** (रूपये साठ लाख उनतीस हजार आठ सौ इकतालीस मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक 9897170 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं **रू. 50,04,290/-** (रूपये पचास लाख चार हजार दो सौ नब्बें मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक TCHHF0284000100084488 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं **रू. 45,69,589/-** (रूपये पैतालीस लाख उनसत्तर हजार पांच सौ उनब्बे मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक TCHHF0284000100085653 **रू. 46,75,193/-** (रूपये छियालीस लाख पचहत्तर हजार एक सौ तिरानबे मात्र) के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं अनुबंध क्रमांक TCHHL0284000100084902 **रू. 2,20,71,455/-** (रूपये दो करोड़ बीस लाख इकहत्तर हजार चार सौ पचपन रुपये मात्र) 31-05-2023	**रू. 1,85,00,000/-** (रुपये एक करोड़ पिच्यासी लाख मात्र) **अग्रिम जमा राशि (ईएमडी)- रू. 18,50,000/-** (रुपये अठारह लाख पचास हजार मात्र) **कब्जे का प्रकार-** भौतिक	**रू. 24,67,007/-** (रूपये चौबीस लाख सढ़सठ हजार सात मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक TCHHF0284000100068767 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं **रू. 83,71,884/-** (रूपये तिरयासी लाख इकहत्तर हजार आठ सौ चौरासी मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक 9897170 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं **रू. 70,27,140/-** (रूपये सत्तर लाख सत्ताईस हजार एक सौ चालीस मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक TCHHF0284000100084488 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं **रू. 62,41,149/-** (रूपये बासठ लाख इकतालीस हजार एक सौ उनपचास मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक TCHHF0284000100085653 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं **रू. 64,73,217/-** (रूपये चौसठ लाख तिहत्तर हजार दौ सौ सत्रह मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक TCHHL0284000100084902 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं कुल राशि **रू. 3,05,80,397/-** (रूपये तीन करोड़ पांच लाख अस्सी हजार तीन सौ सिंत्यान्वे मात्र) 03-10-2025
अचल संपत्ति का विवरण: म्युनिसिपल मकान नंबर 22, (पूर्वी भाग) ब्लॉक नंबर 13-बी मनोरमागंज, गली नंबर 2, इंदौर में एन.आर.के. विलास की प्रथम मंजिल पर फ्लैट नंबर 101 के समस्त भाग एवं अंश। सुपर बिल्ट अप क्षेत्रफल 2570 वर्ग फीट। **चर्तुसीमा** : पूर्व : बिल्डिंग एवं लॉबी का खुला स्थान, पश्चिम: बिल्डिंग का खुला स्थान, उत्तर: बिल्डिंग का खुला स्थान, दक्षिण: बिल्डिंग का खुला स्थान					

नोट: उधारकर्ता द्वारा TCHFL के खिलाफ दायर एसए (SA/1138/2023) DRT, जबलपुर के समक्ष लंबित है, उक्त मामले में TCHFL के खिलाफ कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है।

बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली जमा करने से पहले उचित परिश्रम करें। नीलामी मुकदमे के परिणाम के अधीन होगी।

नीलामी में, आम जनता को व्यक्तिगत रूप से अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हालाँकि, इस बिक्री के संबंध में कोई भी कर्तव्य निभाने वाला कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, बेची गई अचल संपत्ति में कोई भी हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली नहीं लगाएगा, प्राप्त नहीं करेगा या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा।

बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित शर्तों और निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी:

कृपया ध्यान दें: ई-नीलामी पोर्टल http://bankauctions.in/ के माध्यम से दिनांक 28-10-2025 को दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे के बीच प्रत्येक 5 मिनट अवधि के असीमित विस्तार के साथ होगी।

नियम और शर्ते : 1. अनुसूची में दिया विवरण अधोहस्ताक्षरी के पूर्ण ज्ञान व जानकारी में दिया गया है, किंतु इस उदघोषणा अधोहस्ताक्षरी किसी त्रुटी, गलती या चूक के लिए अधोहस्ताक्षरी जवाबदेय नहीं होगा। बोली राशि या निविदाकार संबंधी किसी विवाद की स्थिति में अचल संपत्ति को दुबारा नीलामी के लिए रखा जायेगा। 2. संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। 3. बोली वृद्धि राशि: **रु.10,000/- (दस हजार मात्र)** 4. संपत्ति की खरीद के लिए सभी निविदाएँ **'टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड'** के पक्ष में और उपरोक्त शाखाओं में देय डिमांड डाफ्ट के साथ जमा की जाएं। असफल निविदाकारों के डिमांड डाफ्ट वापस कर दिए जायेंगे। **आरटीजीएस/ एनईएफटी/ आईएमपीएस के माध्यम से ईएमडी** के भुगतान के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। 5. उच्चतम बोलीकारि को संबंधित लॉट का खरीदार घोषित किया जायेगा, बशर्ते वह विधिक रूप से बोली लगाने के लिए योग्य हो और उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से उच्चतम बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा जब उसे लगे कि पेशकश मूल्य स्पष्टरूप से अपर्याप्त है। 6. उपलब्ध कारणों से 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से बिक्री को स्थगित / रोकने का अधिकार होगा। 7. संपत्ति की निरीक्षण दिनांक **14-10-2025** को **सुबह 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे** तक किया जा सकेगा। 8. खरीददार घोषित व्यक्ति को ऐसी घोषणा के तुरंत बाद क्रय राशि की पच्चीस प्रतिशत राशि जिसमें ईएमडी राशि शामिल होगी प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटे के अंदर जमा करनी होगी, यह राशि जमा न किए जाने की स्थिति में संपत्ति नई नीलामी/निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। 9. उपरोक्त अनुसार प्रारंभिक राशि जमा कर दिए जाने पर क्रय राशि की शेष राशि संपत्ति की बिक्री की पुष्टि होने की तारीख से 15 दिनों तक खरीदार द्वारा 'प्राधिकृत अधिकारी को जमा करनी होगी, यदि 15वें दिन कोई रविवार या अन्य अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्य दिवस को जमा करनी होगी। 10. उपरोक्तानुसार भुगतान न होने पर संपत्ति नई नीलामी / निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। सभी जमा राशि टाटा कैपीटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास जब्त हो जायेगी और चूककर्ता खरीदारें संपत्ति पर अपने सभी दावे खो देगा। 11. टाटा कैपीटल हाउसिंग फाईनेंस लि. को ज्ञात ऋणभारों जिनके लिए संपत्ति देनदार है का विवरण-कोई नहीं, दावे, यदि कोई हों, जो संपत्ति के लिए प्रस्तुत किए गए हों और इसकी प्रकृति और मूल्य से संबंधित कोई अन्य ज्ञात विवरण: उपरोक्त तालिका के अनुसार। उपरोक्त अनुसूची के विवरण अनुसार इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वहां के संपत्ति कर, बिजली आदि के सांविधिक देनदारियों क्षेत्रों सहित संपत्ति पर ऋण भार के बारे में स्वयं जांच करें। **12. अन्य किसी विवरण अथवा संभावी निविदाकार को ई-नीलामी पर प्रक्रिया आनलाईन प्रशिक्षण के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स 4क्लोजर, ब्लॉक नं. 605 ए, छटी मंजिल मैत्रीवनम कमर्शियल कॉम्पलेक्स, अमीरपेट, हैदराबाद-500038 ईमेल आईडी: info@bankauctions.in या मनीष बंसल, ईमेल आईडी Manish.Bansal@tatacapital.com अधिकृत अधिकारी मोबाइल नंबर 8588983696 से संपर्क कर सकते हैं। कृपया अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9999078669 पर भेजें।** 13. उच्चतम घोषित बोली राशि पर उच्चतम बोली दाता द्वारा 1% का टीडीएस लागू और देय होगा। भुगतान उच्चतम बोलीदाता द्वारा मालिक/उधारकर्ता (ओं) के पैन में जमा करना आवश्यक है और चालान की प्रति हमारी कंपनी को प्रस्तुत की जाएगी। 14. उपरोक्त विवरणों के लिए कृपया प्रदान की गई प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट https://surl.lt/jceyfj का संदर्भ लें। 15. कृपया इस लिंक पर भी जाएं : **https://www.tatacapital.com/property-disposal.html**

कृपया ध्यान दें: टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति की बिक्री/नीलामी के लिए उल्लिखित नीलामी भागीदार के अलावा किसी दलाल / एजेंट को नहीं लगाया है। इच्छुक पक्षों को इस मामले में सभी प्रश्नों और जांच के लिए केवल अधोहस्ताक्षरी या अधिकृत कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।

ह/-

(प्राधिकृत अधिकारी)

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि.

स्थान : इन्दौर (म.प्र.)

दिनांक : 09-10-2025